आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–04/14–15

बंका राम

बनाम

बिहार सरकार

आदेश

09.12.2014

यह अपील वाद बंका राम पिता–स्व0 देवशरण राम सा0–सिसवनिया पंचायत–कोइरपट्टी प्रखंड–ठकराहा के जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बगहा के आदेश दिनांक 06.03.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–12/07 को तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपील आवेदन पत्र के आलोक में अनुमंडल कार्यालय बगहा से अभिलेख की मांग की गयी। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा सितम्बर–2012 का किरासन तेल तीन लिटर चौवन रूपयें प्राप्त कर वितरण किया जा रहा था, तथा इस प्रकार निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की जा रही थी तथा माह अक्टुबर–12 का भी कूपन उपभोक्ताओं से जबरन फाड़कर रख लिया जा रहा था। साथ ही जून–12 का वी0पी0एल0 का खाद्यान्न 09 किलो गेहूँ एवं 12 किलो चावल 145 रूपयें लेकर दिया गया हैं जो निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की गयी हैं। यह मनमाने ढंग से दुकान का संचालन करने एवं अधिक राशि की वसूली किया जाना सरकारी निदेश एवं अनुज्ञप्ति की शर्तो का सरासर उल्लघंन है।

अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि माह–सितम्बर–12 का किरसन तेल उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया जा रहा था, किन्तु मुखिया जी द्वारा बताया गया कि सामान का वितरण उपभोक्ताओं के

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

बीच किजिए हम बाद में रजिस्ट्रर पर हस्ताक्षर कर दुगा। माह–सितम्बर–12 को तीन लिटर किरासन तेल का दाम चौवन रूपयें लिया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता से तीन लिटर किरासन तेल का दाम 50रूपयें लिया हूँ और उस पर उपभोक्ता का हस्ताक्षर एवं निशान है। जहॉ तक जुन–12 का अत्न्तोदय का खाद्यान्न 12 कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 18कि0ग्रा0 चावल 95 रूपयें में दिया गया है जो गांव के मुखिया, वार्ड सदस्य एवं बी0डी0सी0 के देख रेख में वितरण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–3527/14 द्वारा दिनांक 19.02.2014 को पारित आदेश के आलोक में अपील दायर किया गया है। लिए गये बयान एक ही हस्तलिपि में है, जिस पर गांव के औरतो का हस्ताक्षर है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उपरोक्त विवेचित तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध संबंधित कागजातों के अवलोकन तथा गहन विवेचना से स्पष्ट होता है कि लाभूको का बयान उनके स्वयं द्वारा हस्तलिखित नही है। यदि जिन लाभूको से बयान लिया गया उनमे कुछ लिख सकते थे तो उनसे उनकी लेखनी में बयान दर्ज करना चाहिए था, जिससे बयानों की विश्वसनीयता अधिक होती है। अतः मामले को अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि वे वितरण पंजी में अंकित लाभूको में 10 उपस्थित लाभूको से बयान लेकर पुनः सभी कागजातो की जांच करायेगे। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित नही होती है तो अनुज्ञप्ति को बहाल करेंगे अन्यथा अनुज्ञप्ति रदद् करने के आदेश को यथावत् रखेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
09/12/14

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
09/12/14